रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223098
CG-DL-E-17112020-223098

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
No. 583] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 714(अ).— पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों में चूना भट्टियों में पेट कोक की बिक्री तथा उपयोग को अधिसूचित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के उपाबंध के रूप में संलग्न की गई सूची में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों को ही केवल पेट कोक की बिक्री की जाती है और उक्त सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से किया जा सकेगा;

और जबकि, राजस्थान राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना के उपाबंध में 8 चूना भट्टी को और जोड़ने का अनुमोदन किया है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में और निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:—

उक्त अधिसूचना के, उपाबंध में, क्रम सं. 432 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात्:—

"433	मैसर्स ब्रज केमिकल्स एंड मिनरल्स	माइल स्टोन नं. -252, एनएच-89, बीकानेर, जोधपुर रोड, देशनोके, जिला-बीकानेर, राजस्थान	1	1000	1500	150
434	मैसर्स आनंदवत्स लाइम इंडस्ट्रीज	के. नं. -100/1, बसनी हरिसिंह, तहसील-भोपालगढ़, जिला- जोधपुर, राजस्थान	1	625	1250	180
435	मैसर्स नीलकंठ केमिकल्स एंड मिनरल्स	के. नं.-159/9 और 159/10 बसनी हरिसिंह, तहसील-भोपालगढ़ जिला-जोधपुर, राजस्थान	2	1200	2500	240
436	मैसर्स पूजा लाइम इंडस्ट्रीज	के. नं. -169/12, बसनी हरिसिंह, तहसील-भोपालगढ़ जिला-जोधपुर, राजस्थान	2	1250	2625	250
437	मैसर्स निकिता इंडस्ट्रीज	के. नं. -159/12, बसनी हरिसिंह, तहसील-भोपालगढ़ जिला-जोधपुर, राजस्थान	1	750	1575	150
438	मैसर्स जोधपुर केमिकल्स	कें. नं.- 53, 53/6, 53/10, 53/11, 53/12, 53/18 & 53/19, ग्राम-किरमसरैया, तहसील ओसियान, जिला-जोधपुर, राजस्थान	1	2100	5040	550
439	मैसर्स राकेश केमिकल्स	के. सं. – 724/47, तहसील-बिलाड़ा, जिला-जोधपुर, राजस्थान	2	1500	3375	300
440	मैसर्स अरिहंत केमिकल्स	के. सं.-882/552, ग्राम ताडावास, तहसील-खिवसर, जिला-नागौर, राजस्थान	2	1400	3200	266.66

फा. स. क्यू-16017/04/2018-सीपीए (पार्ट)

यशवीर सिंह, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणः मूल अधिसूचना, सा.का.नि. सं. 45 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सा.का.नि. सं. 495 (अ), तारीख 25 मई, 2018, सा.का.नि. 397 (अ), तारीख 31 मई, 2019 सा.का.नि. (अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2019 और सा.का.नि. 113 (अ) दिनांक 14 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधन किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

G.S.R. 714 (E).–Whereas, sale and use of pet coke in lime kilns in the National Capital Region (NCR) States was notified *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018, wherein sale of pet coke are made only to the industrial units mentioned in the list annexed to the said notification as Annexure and any change in the said list shall be made on the recommendation of the concerned State Government and with the approval of the Central Pollution Control Board;

And whereas, on the recommendation of the State Government of Rajasthan, Central Pollution Control Board has approved further addition of 8 lime kilns in the Annexure of the notification mentioned above.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the aforesaid notification, namely:—

In the said notification, in the Annexure, after serial number 432 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely: —

"433	M/s Braj Chemicals & Minerals	Mile stone No.-252, NH-89, Bikaner, Jodhpur Road, Deshnoke, District-Bikaner, Rajasthan	1	1000	1500	150
434	M/s Anandvats Lime Industries	K. No.-100/1, Basni Harisingh, Tehsil- Bhopalgarh, District-Jodhpur, Rajasthan	1	625	1250	180
435	M/s Neelkanth Chemicals & Minerals	K. No.-159/9 & 159/10, Basni Harisingh, Tehsil- Bhopalgarh, District- Jodhpur, Rajasthan	2	1200	2500	240
436	M/s Pooja Lime Industries	K. No.-169/12, Basni Harisingh, Tehsil- Bhopalgarh, District- Jodhpur, Rajasthan	2	1250	2625	250
437	M/s Nikita Industries	K. No.-159/12, Basni Harisingh, Tehsil- Bhopalgarh, District- Jodhpur, Rajasthan	1	750	1575	150
438	M/s Jodhpur Chemicals	K. No.- 53, 53/6, 53/10, 53/11, 53/12, 53/18 & 53/19, Village-Kiramsariya, Tehsil- Osiyan, District- Jodhpur, Rajasthan	1	2100	5040	550
439	M/s Rakesh Chemicals	K. No.-724/47, Tehsil- Bilara, District- Jodhpur, Rajasthan	2	1500	3375	300
440	M/s Arihant Chemicals	K. No.- 882/552, Village-Tadawas, Tehsil- Khivsar, Distt: Nagaur, Rajasthan	2	1400	3200	266.66".

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA(pt)]

YASHVIR SINGH, Economic Advisor

Note: The principle notification was published *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 495(E), dated the 25th May, 2018, G.S.R. 397(E), dated the 31st May, 2019, G.S.R. 906(E), dated the 12th December, 2019 and G.S.R. 113(E), dated the 14th February, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.17 20:29:14 +05'30'